

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या : 594/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)  
पीएनबी हाऊसिंग फाइनेन्स लिमिटेड, एसबी-59, यूडीवी टॉवर, प्रथम तल, टोंक रोड, जयपुर नगर  
निगम के सामने, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. सुश्री शिवानी नाठा पुत्र श्री मुकुट बिहारी नाठा,  
पता :- प्लॉट नं. 25, लक्ष्मी नगर, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर।  
एवं शातक्षी क्रिएशन, 25, निवारू रोड, विवेकानन्द मार्ग, लक्ष्मी नगर, झोटवाडा, जयपुर।
2. श्रीमती पुष्पा नाठा,  
पता :- प्लॉट नं. 25, लक्ष्मी नगर, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर।
3. श्री अजय नाठा,  
पता :- मकान नं. 2416, खजाने वालो का रास्ता, गंगा बिशन की मोरी, जयपुर।  
एवं शातक्षी क्रिएशन, 25, निवारू रोड, विवेकानन्द मार्ग, लक्ष्मी नगर, झोटवाडा, जयपुर।
4. मैसर्स शातक्षी क्रिएशन,  
पता:- शातक्षी क्रिएशन, 25, निवारू रोड, विवेकानन्द मार्ग, लक्ष्मी नगर, झोटवाडा, जयपुर।  
एवं प्लॉट नं. 25, लक्ष्मी नगर, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर।
5. श्री रमेश कुमार शर्मा,  
पता:- 2, शिव मार्ग, सिविल लाईन, जयपुर।  
एवं प्लॉट नं. 25, लक्ष्मी नगर, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :- श्री विनोद खाण्डल, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक: 11.11.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी सुश्री शिवानी नाठा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 25, लक्ष्मी नगर, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर, क्षेत्रफल 200 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 11.01.2019 को राशि 27,57,300/रूपये एवं दिनांक 21.01.2019 राशि 40,20,000/- रूपये, कुल राशि 67,77,300/- रूपये, की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.11.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिकवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 67,77,300/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 72,20,228.38/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 17.11.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा-14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी सुश्री शिवानी नाठा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 25, लक्ष्मी नगर, निवारू रोड, झौटवाड़ा, जयपुर, क्षेत्रफल 200 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबन्धित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबन्धित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त जायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दर्ज हो।



आदेश आज दिनांक 11.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

270  
(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला नजिस्ट्रेट  
(मलक्तर) जयपुर